न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, 7आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– राजस्व वाद/03/2017

पंकज आदि बनाम **बजरंगलाल आदि**

दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

–ःनिर्णयः– **दिनांक – 18.05.2018**

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन है। यह कि उपरोक्त वाद वादीगण की और से उद्घोषणा विवादित भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 3.76 हैक्टेयर भूमि में से 1.8717 हैक्टेयर(7 बीघा 8 विस्वा पुख्ता) भूमि में अपने तथाकथित क्रमशः 1/12 हिस्से प्रत्येक की दर से उद्घोषणा प्रतिवादी संख्या 1 बंजरगलाल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मे से मांगी है और वाद शीर्षक के मुताबिक वादीगण सभी नाबालिंग है जो स्वीकृत तथ्य वादीगण का है।

यह कि वादीगण के पिता भंवरलाल पुत्र बजरंगलाल जीवित है और प्रस्तुत वाद में वर्णित विवादित कृषि भूमि खातेदारी में प्रतिवादीगण 2 व 3 भंवरलाल व भगवानाराम जो कि प्रतिवादी संख्या 1 बजरंगलाल के पुत्रगण है जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है क्यों कि बजरंगलाल के जीवित रहते हुये वादीगण के पिता भंवरलाल व भगवानाराम का कोई हिस्सा बजरंगलाल की खातेदारी की भूमि होना संभव नही है।

यह कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 202 की 1.8717 हैक्टेयर (7 बीघा 8 विस्वा पुख्ता) भूमि जिसको आनन्दा पुत्र रामलाल ब्राह्मण निवासी निछवा को इसकी पूर्ण प्रतिफल राशि 2000/– रुपये नगद अदा करके दिनांक 2.01.69 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा इस भूमि को खरीदकर कब्जा व काश्त प्राप्त किया था उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज हुई है और प्रतिवादी संख्या 1 आज भी जीवित है और विवादित भूमि उसकी स्वअर्जीत भूमि है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के जीवित रहते उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और नहीं वे तथाकथित हिस्से का कोई क्लेम कानूनी रुप से कर सकते है और जब प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल का ही कोई हक हिस्सा अपने पिता बजरंगलाल की सम्पति में उसके जीवित रहते हुये नहीं है तो वादीगण का इस भूमि में कोई हक हिस्सा होने का प्रश्न ही नहीं बनता है वादीगण के द्वारा जरिये संरक्षक यह वाद कतई निराधार व खिलाफ कानून पेश किया है जो सम्पूर्ण ही प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं।

यह कि वादीगण 1 लगायत 3 जो भंवरलाल प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र है और भंवरलाल वाद दायरी के दिन से आज तक जीवित है नाबालिंग बच्चों का विधिक संरक्षक उनका पिता कानूनी रुप से होता है और पिता के जीवित रहते हुये उनकी माता वैध संरक्षक की श्रेणी में नही आती है और वादीगण के द्वारा इस वाद में ऐसा कोई भी कारण नहीं लिखा है जिसके चलते पिता की मौजूदगी में उसकी माता को संरक्षक बनना पड़ा हो इस प्रकार वादीगण का वाद पूर्वतया विधि द्वारा बाधि है और प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि विरूद्ध घोषित किया जाकर खारिज करने की कृपा करें।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प नेछवा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर दिनांक 19.04.2018 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया। साथ ही उक्त प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 कि ओर से जवाब दावा भी पेश हो चुका है। उक्त सभी का भली भांति अवलोकन किया। कैम्प स्थल पर वादीगण सं. 1 ता 3 पंकज आदि कि ओर से उनकी माता मनोहरी पत्नी भवंरलाल जाति स्वामी निवासीगण नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ उपस्थित। उक्त मनोहरी पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब देने से मना किया साथ ही पत्रावली आदेशिका पर इस बाबत हस्ताक्षर करने से मना किया। चूंकि पत्रावली आज कैम्प नेछवा में प्रस्तुत है। जिसमें सम्पूर्ण पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात आदि के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण का निस्तारण में आवश्यक सभी बिन्दु व तथ्य स्पष्ट है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत मूल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादपत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे का भी अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण दावा मे उल्लेखित विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा इस भूमि को खरीदकर कब्जा व काश्त प्राप्त किया था उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज हुई है और प्रतिवादी संख्या 1 आज भी जीवित है और विवादित भूमि उसकी स्वअर्जीत भूमि है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के जीवित रहते उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और नहीं वे तथाकथित हिस्से का कोई क्लेम कानूनी रुप से कर सकते है और जब प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल का ही कोई हक हिस्सा अपने पिता बजरंगलाल की सम्पति में उसके जीवित रहते हुये नहीं है तो वादीगण का इस भूमि में कोई हक हिस्सा होने का प्रश्न ही नहीं बनता है वादीगण के द्वारा जरिये संरक्षक यह वाद पेश किया हो जो कि निराधार व विधिविरूद्ध प्रतीत होता है।

साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि वादीगण 1 लगायत 3 जो भंवरलाल प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र है और भंवरलाल वाद दायरी के दिन से आज तक जीवित है नाबालिग बच्चों का विधिक संरक्षक उनका पिता कानूनी रुप से होता है और पिता के जीवित रहते हुये उनकी माता वैध संरक्षक की श्रेणी में नही आती है और वादीगण के द्वारा इस वाद में ऐसा कोई भी कारण नहीं लिखा है जिसके चलते पिता की मौजूदगी में उसकी माता को संरक्षक बनना पड़ा हो इस प्रकार वादीगण का वाद निराधार व विधिविरूद्ध प्रतीत होता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से वादी का वाद विधिविरूद्ध व साबित नहीं होने से चलने योग्य नहीं है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सारहीन व विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.05.2018 को कैम्प नेछवा में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प नेछवा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मण्गढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

पंकज आदि बनाम **बजरंगलाल आदि**

दावा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

नम्बर मुकदमाः– राजस्व वाद/01/2016 निर्णय दिनांक– 18.05.2018

वादी.....व प्रतिवादीगण..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.05.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सारहीन व विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो।

यह आज तारीख 18.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुहर

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प नेछवा

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प नेछवा